परिशिष्ट-01

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) गोटेगांव

क्रमांक/1971/प्र.अ.वि.अ./2016 गोटेगांव दिनांक 27.10.2016

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
नरसिंहपुर

विषयः— समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार तहसील गोटेगांव के ग्राम ठेमी में प्रकाशित समाचार यहां जाति देखकर बाटा जाता है मिड—डे मील के संबंध में जांच प्रतिवेदन।

विषयांतर्गत निवेदन है कि तहसील गोटेगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत ठेमी में प्रकाशित समाचार यहां जाति देखकर बाटा जाता है मिड—डे मील जाता है। इस संबंध में जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है—

1. आंगनबाड़ी केन्द्र:— प्रकाशित समाचार के जांच हेतु तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सहित जांच हेतु ग्राम ठेमी पहुंचकर जांच की। मौके पर आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला एवं हरिजन बस्ती में जांच की गई। मौके पर रेवतीबाई पति शंकर अहिरवार, गुड्डीबाई पति कंछेदीलाल बसोर की बहु रेखा पत्नि लक्ष्मण बसोर के कथन लिए गए। जिसमें रेखाबाई पति लक्ष्मण बसोर द्वारा बताया गया कि उनका बच्चा रीतेश जो कि 3 वर्ष का है। आंगनबाडी कार्यकर्ता कीर्ति जैन के द्वारा चिल्लाकर बोलने एवं दुर्व्यवहार के कारण पिछले 2 माह से आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं आया। इसी प्रकार रेवतीबाई चौधरी ने बताया कि उसका 1 पुत्र 2 वर्ष 6 माह का है। आंगनबाड़ी में 3 पैकेट पोषण आहार मिलता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कीर्ति पति अरविंद कुमार जैन के कथन अंकित किये गये। उनके द्वारा बताया गया कि वे पिछले 17 वर्षों से कार्यरत है। वर्तमान में आंगनबाडी में 25 बच्चे अध्ययनरत है। 3 वर्ष से कम बच्चे को खाना नही देते है। सिर्फ मंगलवार को खीर—पुड़ी सब्जी देते है। किसी भी बच्चे के साथ छूआछूत की भावना नहीं रखते हैं। सभी से सामान्य रूप का व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिका शारदाबाई पति दशरथप्रसाद विश्वकर्मा द्वारा कथन में बताया गया। उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि रेखाबाई का बच्चा जो 3 वर्ष से अधिक है पूर्व में आंगनबाड़ी आता था तथा आहार मिलता था विगत दो माह से कार्यकर्ता के तेज बोलने से कारण नहीं आ रहा है। रेवती बाई का पुत्र 3 वर्ष से कम आयु का है इस आयु के बच्चे को आंगनबाड़ी नहीं लाया जाता है तथा उसे घर में पोषण आहर दिया जाता है रेवतीबाई ने अपने कथन में बताया कि उसे बच्चे हेतु पोषण आहार के पैकेट मिलते हैं इस तरह छुआछूत की शिकायत निराधार प्रतीत होती है।

letter 2016 560

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

2. **स्कूल:-** तदउपरांत प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला का निरीक्षक किया गया। जिसमें माध्यमिक शाला के हेडमास्टर के कथन अंकित किये गये। जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि शाला में 118 बच्चे अध्ययनरत हैं जिसमें अनुसूचित जाति के 14, अ.वि.अ. के 84, अ.ज.जा के 10, सामान्य के 10 बच्चों का मध्यान भोजन द्वारा बनाया जाता है। समूह में महिला भूरीबाई पति देवीसिंह ढीमर, सुमंत्राबाई आदि द्वारा मीनू के हिसाब से उपस्थित छात्रों को भोजन दिया जाता है। सभी छात्रों को भोजन की प्लेटें दी गई है। उसी मे वे मध्यान भोजन करते हैं एवं छात्रों द्वारा थाली की साफ–सफाई की जाती है। शाला में छूआछूत संबंधी आज दिनांक तक कोई भी बच्चे या पालक द्वारा छुताछूत संबंधी कोई शिकायत नहीं की गई है। इसी प्रकार शिक्षिका राखी अग्रवाल द्वारा उनके कथन में बताया गया।

समूह की अध्यक्ष भूरीबाई के कथन लिये गये। उसके द्वारा बताया गया कि मै शाला में 10 वर्षों से भोजन बना रहीं हूं। शाला में उपस्थित छात्रों को भोजन प्राप्त होता है। सभी बच्चे साथ में खाना खाते हैं। किसी बच्चे से छूआछूत नहीं किया जाता है। मध्यान भोजन सभी को समान रूप से बिना भेदभाव के करवाया जाता है।

ग्राम की महिला गुड्डीबाई चौधरी द्वारा बताया गया कि उनके 3 बच्चे हैं। 2 लकड़े एवं 1 लड़की है। बड़ा बालक कक्षा 9 वीं, दूसरा बालक कक्षा 7वीं तथा लड़की लक्ष्मीबाई कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है। स्कूल में जली रोटी देते है। बच्चों को दूध का गिलास नहीं देते हैं। तथा दी गई प्लेट को साफ कराते हैं तथा छुआछूत की भावना रखते हैं।

इसी प्रकार ग्राम की महिला चतुराबाई पति भगवत बंसकार जिसकी बच्ची अनीता 7 वीं में अध्ययन रत है। गणेशीबाई पति मानसिंह के 2 बच्चे तथा राजकुमारी पति अन्नीलाल चौधरी जिसके 2 बच्चे शाला में अध्ययनरत हैं। जिसमें चतराबाई द्वारा बताया गया कि खाना बनाने वाली मैडम छूआछूट करती है। गणेशीबाई द्वारा भी छूआछूत की बात की गई।

ग्राम के सरपंच प्रीति बाई पति कैलाश गोड़ एवं उपसरपंच देवीसिंह वल्द परमलाल के भी कथन लिए गए उनके द्वारा ग्राम में किसी प्रकार की छूआछूत की समस्या को इंकार किया है। इनके द्वारा बताया गया कि सभी धर्म एवं जाति के लोग आपसी भाईचारा के साथ निवारसत है। स्कूल, आंगनबाड़ी तथा अन्य किसी जगह पर छुआछूत नहीं है।

बाद में हरिजन बस्ती ग्राम ठेमी का निरीक्षण किया गया। रतनलाल वल्द कोमल बसोर से यहां पहुंचकर मोहल्ले वालों को बुलाया गया। जिनके द्वारा बताया गया कि हम सभी ग्रामवासी आपसी भाईचारे से रहते हैं। ग्राम में किसी प्रकार की छूआछूत की समस्या नहीं है। जिसका पंचनामा संलग्न है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

मेरे द्वारा प्रत्येक कक्षा में अ.जा. वर्ग के छात्र-छात्राओं से बात की गई उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें सबके साथ भोजन दिया जाता है तथा व सभी अन्य समुदाय के बच्चों के साथ बैठकर भोजन करते हैं। इस तरह छुआछूत की कोई समस्या प्रथम दृष्टया सामने नहीं आई है।

ग्राम के कुछ लोगों द्वारा जिनके नाम समाचार पत्र में छपे हैं छुआछूत की शिकायत की जा रही है जो संभवत ग्राम की राजनैतिक गुटबाजी का परिणाम भी हो सकता है।

मौके पर उपस्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी को ग्राम की दोनों आंगनबाडी के कार्यकर्ता और सहायिका को परिवर्तित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी आज ग्राम ठेमी में जांच के समय उपस्थित नहीं थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत गोटेगांव को समूह परिवर्तन करने एवं समूह से ही प्लेट साफ करवाने के निर्देश दिए गए

प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय की ओर सादर प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी
गोटेगांव

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग